

21

21.03.24 पत्रावली पैदा। वकील वादी या वादी  
द्वय उपस्थित नहीं। खारिज आवान  
लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए।  
अतः वादी का यह वाद पराअदम  
पैरकी - अदम हाजिरी में इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
बाद तस्वीर तस्वीर लोक दायित्व  
दफ्तर है।

निर्णय लिखाया जाकर सुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

↓  
(मंगल कुमार शर्मा)  
RoA2S

